

115

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई, 2024

विषय: सेन्डई फ्रेमवर्क परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 01 वरिष्ठ सलाहकार, आपदा प्रबंधन की सेवाएं लिए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयडनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं०-332/का०अनु०/2023-24, दिनांक 18.06.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से सेन्डई फ्रेमवर्क परियोजना को राज्य स्तर से संचालित करने हेतु वरिष्ठ सलाहकार, आपदा प्रबंधन की सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में 01 वरिष्ठ सलाहकार को एक वर्ष हेतु (जिसे आगामी 02 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है) तथा 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर व 01 वाहन सहित नियुक्त किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयडनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को धनराशि ₹० 17,10,000/- (सत्रह लाख दस हजार मात्र) का बजट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सेन्डई फ्रेमवर्क परियोजना को राज्य स्तर से संचालित करने हेतु वरिष्ठ सलाहकार, आपदा प्रबंधन की सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में 01 वरिष्ठ सलाहकार को एक वर्ष हेतु (जिसे आगामी 02 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है) तथा 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर व 01 वाहन सहित नियुक्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयडनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹० 22.80 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि (09 माह) हेतु धनराशि ₹० 17,10,000/- (सत्रह लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वितीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 17,10,000/- (सत्रह लाख दस हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by

भवदीय,

Ram Kewal

Date: 26-07-2024 18:07:31

(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या:-948(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

उपरोक्त विवरण के अनुसार
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
 राहत आयोग संजयपुर
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
 (संतोष कुमार)



महोदय- (वर्तमान आवंटन):- रुपया सत्र है लाख टस है हजार
 महोदय- (प्रगामी आवंटन):- रुपया त्रैलीस करोड़ आठ लाख अठतीस हजार नौ सौ बाइस

S.No.	आधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	वर्तमान प्रगामी
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	1710000	330838912
		1710000	330838912
		42-अन्य व्यय	युगा

(धनराशि रु. में)

- 11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
- 06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
- 800 - अन्य व्यय
- 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजननर-मतदय) का आवंटन)
- 51 राजस्व विभाग (द्वैती विपत्तियों के समन्वय में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025

पृष्ठा संख्या:- 948
 आवंटन आदेश संख्या:- 001-948
 अनुदान संख्या:-
 लेखाशीर्षक:-

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
 आवंटन दिनांक-30/07/2024

Allotment Grid Report